**प्रेस नोट** **28/07/2024**

**<u>मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा शातिर अपराधी अंकुर राय द्वारा किये गये लगभग 01 करोड़ रुपये कीमती अवैध अतिक्रमण को कराया गया मुक्त–</u>**

संगठित अपराध/अपराधियों एवं अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.07.2024 को क्षेत्राधिकारी घोसी श्री दिनेश दत्त मिश्र के नेतृत्व में एवं सर्किल घोसी के समस्त थाना प्रभारियों, राजस्व टीम व भारी पुलिस बल के साथ थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत, वाद संख्या 03048/2020 मौजा चकरा स्थित गाटा संख्या 402मि0 रकबा 0.036 हे0 खलिहानी भूमि से अतिक्रमणी मुख़्तार अंसारी गिरोह के सहयोगी व शातिर अपराधी अंकुर राय पुत्र रामदरश निवासी चकरा थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा ग्रामसभा चकरा में किये गये लगभग 01 करोड़ रुपये कीमती अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया।

उल्लेखनीय है कि नियत प्राधिकारी द्वारा थाना कोपागंज क्षेत्रान्तर्गत, मौजा चकरा स्थित गाटा संख्या 402मि0 रकबा 0.036 हे0 खलिहानी भूमि से उक्त अतिक्रमणी अंकुर राय को बेदखल करते हुये क्षतिपूर्ति स्वरुप 30 हजार 600 रुपये व निष्पादन शुल्क 01 हजार रुपये आरोपित करते हुये आदेश पारित किया गया, जिसको आज भारी पुलिस बल की उपस्थिति में ध्वस्त कराकर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।